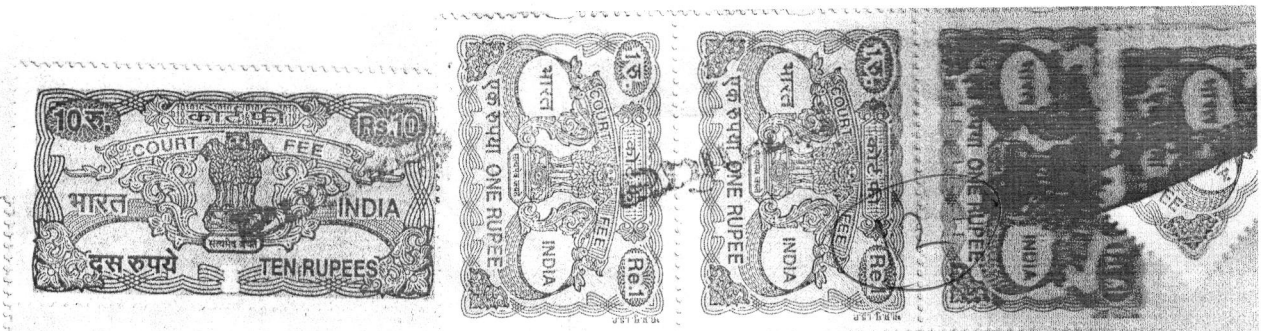

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–गुना — R-586-PBR/12

1. रोविलखां पुत्र श्री मुन्नाखां, आयु 13 साल, नाबालिग सरपरस्त पिता मुन्नाखां पुत्र रमजानखां मुसलमान,
2. फरीदखां पुत्र श्री बहीदखां मुसलमान
3. अतीकखां पुत्र अजीजखां मुसलमान आयु 17 वर्ष नाबालिग, सरपरस्त पिता अजीजखां पुत्र श्री बाबूखां मुसलमान, निवासीगण – वेरखेड़ी रूठियाई, तहसील राघौगढ़, जिला गुना (म.प्र.)

...... आवेदकगणगण

श्री स्वामी-S चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 14/3/12 को प्रस्तुत

14/3/12

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

रजिया बैगम पत्नी श्री मजीदखां मुसलमान, निवासी वेरखेड़ी रूठियाई, तहसील राघौगढ़, जिला गुना (म.प्र.)

...... अनावेदक

S Chaturvedi 14/3/12

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 94/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.01.2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1. यहकि, वेरखेड़ी रूठियाई, तहसील राघौगढ़, जिला गुना में स्थित भूमि सर्वे 6/7 रकवा 1.371 हैक्टेयर वर्तमान में 6/1 रकवा 0.287 हैक्टेयर, 6/2 रकवा 0.288 हैक्टेयर, 7/1 रकवा 1.568 हैक्टेयर, 7/2 रकवा 1.567 हैक्टेयर, 13/1 रकवा 0. 575 हैक्टेयर, 13/2 रकवा 0.575 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकवा 4.807 हैक्टेयर हिस्सा 1/4 में से 1/2 रकवा 0.607 हैक्टेयर पर हिवानामा के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र आवेदकगण द्वारा तहसीलदार राघौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 586–पीबीआर/12 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–1–15	आवेदक की ओर से श्री के0के0द्विवेदी अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय । प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता अंतिम तर्क श्रवण किये गये। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्को में बताया कि अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण को इस आधार पर निरस्त किया है कि म0प्र0भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 में किये गये नवीन संशोधन के अनुसार निगरानी सुनने की अधिकारिता उन्हें नहीं है । अधिवक्ता द्वारा बताया कि यह प्रकरण संशोधन से पूर्व प्रस्तुत किया गया था ऐसी स्थिति में उन्हें प्रकरण को सुनने की अधिकारिता थी। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है अतः आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया है । 3– मैंने अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण 94/11–12/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13–1–2012 का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में प्रस्तुतीकरण का दिनांक 7–10–2011 अंकित है । यह दिनांक नवीन संशोधन दिनांक 31–12–2011 के पूर्व का है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त प्रकरण सुनने की अधिकारिता थी किन्तु उनके द्वारा उपरोक्त स्थिति का विधिवत् अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है अतः अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–1–2012 निरस्त किया जाता है एवं वर्तमान निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण का निराकरण गुणदोषों के आधार पर करें । प्रशासकीय सदस्य	